राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
57 / 2025	28.08.2025	30.12.2025

बउनवान

1. तहसीलदार तहसील मण्डावर, दौसा।

..**प्रार्थी**

बनाम

2. राजस्थान सरकार।

..**अप्रार्थी**

उपस्थित

1. प्रार्थी – तहसीलदार मण्डावर।

प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अभिलिखित करने अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86

निर्णय

1. तहसीलदार मण्डावर द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी नियम व अधिसूचनाओं के अनुसरण में, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक –पं. 3(2) एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत मौके पर स्थायी रूप से प्रचलित / चालू रास्तों को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने बाबत् प्रस्ताव ग्राम वीरगांव पटवार हल्का धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2071–2074 अनुसार आराजी के खसरा सं. 674 / 702 किस्म चारागाह में से 0.02 हैक्टे. एवं 704 / 673 किस्म चारागाह में से 0.01 हैक्टे., कुल किता 2 रकबा 0.03 हैक्टे. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर प्रचलित रास्तों का उक्त भूमि गै.मु. रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के मुताबिक, उपरोक्त भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है, उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है, भूमि का संलग्न मानचित्र (नक्शा ट्रेस) में लाल स्याही से अंकित किया हुआ है।

4. चारागाह भूमि में रास्ता दर्ज किया जाना इस भूमि की किस्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 तथा 102 के अन्तर्गत इस तरह के परिवर्तन किये जाने की अधिकारिता जिला कलेक्टर को प्रदत्त है। इसके अतिरिक्त

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 1132/2011 SLP (C) NO. 3109/2011 (जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब सरकार) में निर्णय पारित कर चारागाह भूमियों के संरक्षण के निर्देश प्रदान किये हैं। इस कारण चारागाह भूमि से वांछित रास्ता दर्ज किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् चारागाह भूमि में रास्ता दर्ज करना स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. यह आदेश दिनांक 30.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
57/2025	28.08.2025	30.12.2025

बउनवान

1. तहसीलदार तहसील मण्डावर, दौसा।

..**प्रार्थी**

बनाम

2. राजस्थान सरकार।

..**अप्रार्थी**

उपस्थित

1. प्रार्थी – तहसीलदार मण्डावर।

प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अमिलिखित करने अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86

निर्णय

1. तहसीलदार मण्डावर द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी नियम व अधिसूचनाओं के अनुसरण में, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक –पं. 3(2) एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एव 86 के तहत मौके पर स्थायी रूप से प्रचलित/चालू रास्तों को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने बावत् प्रस्ताव ग्राम वीरगांव पटवार हल्का धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2071–2074 अनुसार आराजी के खसरा सं. 674/702 किस्म चारागाह में से 0.02 हैक्टे., 704/673 किस्म चारागाह में से 0.01 हैक्टे., कुल किता 2 रकबा 0.03 हैक्टे. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर प्रचलित रास्तों का उक्त भूमि गै.मु. रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी व सहमति पत्र आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के मुताबिक, उपरोक्त भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है, उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है, भूमि का संलग्न मानचित्र (नक्शा ट्रेस) में लाल स्याही से अंकित किया हुआ है। चारागाह भूमि में रास्ता दर्ज किया जाना इस भूमि की किस्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 तथा 102 के अन्तर्गत इस तरह के परिवर्तन किये जाने की अधिकारिता जिला कलेक्टर को प्रदत्त है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

सिविल अपील संख्या 1132/2011 SLP (C) NO. 3109/2011 (जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब सरकार) में निर्णय पारित कर चारागाह भूमियों के संरक्षण के निर्देश प्रदान किये हैं।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् चारागाह भूमि में रास्ता करना स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ~~धारा~~ 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. यह आदेश दिनांक 30.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)